FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नीमकाथाना को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है एवं प्राथमिक डिक्री निम्न शर्तो के अनुसार जारी की जाती है:-	
	(1) यदि पक्षकारान ने आपस मे बाहमी बंटवारा कर अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव भिजवावे।	
	(2) पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावे।	
	(3) यदि उपरोक्त बिन्दु स 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नही है, तो उपरोक्त वर्णित आराजियात का रेकार्ड एवं मौके के अनुसार पक्षकारान के बीच अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी भूमि का बंटवारा विधिवत "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स" कर प्रस्ताव तैयार कर नक्शा ट्रेस मे प्रस्तावित बटा नम्बर डालकर प्रस्ताव भिजवावें। विभाजन प्रस्ताव मे खातेदारो को अपनी भूमियों में पहुँच हेतु रास्तो को भी ध्यान मे रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावे। **बंटवारा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व सुनवाई हेतु पक्षकारान को नोटिस देकर सूचित करें।** विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प-51/ 2008/ विविध/10546 दिनांक 5.10.2020 मे प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया जावे।	
	उपरोक्तानुसार प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली तहरीर जारी होकर बइतजार बटवारा प्रस्ताव के दिनांक 25.06.2024 को पेश हो।	
	(राज... उपख... नीमका... ...त) ...री राज.)	

FORM No. III (प्रारूप संख्या-3)
जी सी एम एस न. ....
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत .... मुकाम ....

.... बनाम .... वर्ष ....

किस्म मुकदमा .... नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित PO साहब दीगर कार्य मे व्यस्त है पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनाक 22/2/24 को पेश हो।	
	रिछपाल वगै0 बनाम मूलचन्द वगै0 वाद संख्या 84/2023	
	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पूर्व में प्राप्त हो चुका है। विभाजन प्रस्ताव पर वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया। वकील प्रतिवादी विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति पेश नही करना चाहते है। वकील वादी का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है। प्राथमिक डिक्री दिनांक 31.05.2024 की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा पक्षकारान/ खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। विभाजन प्रस्ताव से वकील उभय पक्ष सहमत है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावें। वकील प्रतिवादी ने कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ0डी0 किया जाता है तो हमे कोई आपत्ति नही है। वकुलाय उभय पक्षों को सुना गया व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है वह राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किया जाकर प्रस्तावित किया गया है जिससे उभय पक्ष भी सहमत है एवं समस्त खातेदारान के हस्ताक्षर अंकित है। अतः दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है।	
	अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक भू.अ./2024/4348 दिनांक 09.07.2024 द्वारा प्रस्तावितानुसार की ... से डिक्री किया जाता है तथा वादीगण व	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:44:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner